न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई,ए,एस)

अपील संख्या 927/2023 (48/2019)

रतनी देवी पत्नी रामदेव सिंह जाति जाट निवासी नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

—:अपीलार्थी:—

बनाम

1. सोहनी पुत्री चोखा जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

—:प्रत्यर्थीगण:—

2. संतोष पत्नी श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
3. चैनाराम पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
4. उप पंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर
5. तहसीलदार धोद तहसील धोद सीकर
6. ग्राम पंचायत नेतड़वास प.सं. धोद जिला सीकर जरिये सरपंच

—:प्रर्फोमा प्रत्यर्थीगण:—

उपस्थिति:—

1. वकील श्री ओमप्रकाश बिजारणिया अपीलार्थी की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्र जाखड़ प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से।
3. वकील श्री सांवरमल चौधरी प्रत्यर्थी सं0 2 व 3 की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांक:— 30.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा अपील अं0 धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर दिनांक 30.10.2019 पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है भूमि खसरा नं. 183, 221, 442, 443, राजस्व ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में स्थित है। भूमि का हिस्सा 1/2 को चोखा पुत्र भूरा

संभागीय आयुक्त
सीकर

जाति जाट खातेदार काश्तकार था तथा हिस्सा 1/2 के खातेदार रामेश्वरी, शिशपाल, दाना, बलवीर, मोहन पुत्र मोटा खातेदार काश्तकार थे। भूमि के रिकार्डेड खातेदार चोखा पुत्र भूरा का देहान्त हो जाने के पश्चात विरासत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 30.12.1997 को अणची बेवा चोखा हिस्सा 1/4 व संतोष बेवा श्रवण व चैनाराम नाबालिग संरक्षक माता संतोष के नाम हिस्सा 1/4 के ग्राम पंचायत नेतड़वास द्वारा तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सोहनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के न्यायालय में 18 वर्ष पश्चात एक अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खसरा नं0 183, 221, 442, 443 जिसमें अपीलान्ट के पिता चोखा का 1/2 हिस्सा था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत नेतडवास द्वारा अपीलान्ट की माता व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम बिना किसी कब्जे व वारिसों की जांच किये नामान्तकरण सं0 171 गलत रूप से भर दिया। अधीनस्थ न्यायालय नामान्तकरण सं0 171 को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता चौखा ने उसकी शादी के समय काफी स्त्रीधन देकर उसे विदा किया था तथा सोहनी देवी ने भी चौखा को आश्वत किया था कि वादग्रस्त भूमि से उसका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होगा लेकिन उसने अब बदनियति पूर्वक नामान्तकरण तस्दीक होने के 18 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की थी जो सरासर मियाद बाहर थी तथा देरी माफ करने के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित वो भी संतोषजनक नही था उसके बावजूद नामान्तकरण संख्या 171 को निरस्त करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के भूमि खसरा 694/222, 669/223, 702/221, को अपीलार्थीया को दिनांक 10.07.2015 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि बैचान कर दी थी तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 894 दिनांक 15.07.2015 द्वारा भूमि अपीलार्थीया के नाम अंकित हो गई थी इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 के नामान्तकरण को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किय जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त किये जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से आवेदन बाबत प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष प्रदत्त किये जाने में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 3 को किसी तरह की आपत्ति नहीं होने के सम्बन्ध में पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 के खिलाफ न्यायालय में एक अन्य प्रकरण उनवानी संतोष देवी बनाम सोहनी विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनाम हो चूका है तथा इस प्रकरण

संभागीय आयुक्त
सीकर

में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने पर प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 को निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर